

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – जहाजपुर(भीलवाडा)

बाबू खां पिता अमीर खां मुसलमान नि. ईटुन्दा

बनाम

रामकुंवार पिता गंगाविशन मीणा नि. चांदाढण्ड वगैराह

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 376 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
17 .05.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम चान्दाढण्ड प. ह. ईटुन्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1441/2, 1443/2 कुल किता 02 रकबा 0.8256 हैक्टैयर तथा आ. न. 1421 रकबा 0.2347 हैक्टैयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम चान्दाढण्ड प. ह. ईटुन्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1441/2, 1443/2 कुल किता 02 रकबा 0.8256 हैक्टैयर तथा आ. न. 1421 रकबा 0.2347 हैक्टैयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 17.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर (भीलवाडा)</p>	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 370 / 2023


दिनांक :- 17.05.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 370/23 अनवान बाबू खां पिता अमीर खां मुसलमान नि. ईटुन्दा बनाम रामकुंवार पिता गंगाविशन मीणा नि. चांदाढण्ड, दुर्गालाल पिता नाथू रेगर, जब्बार पिता कासम खा, साजिद पिता मुमताज, पप्पू पिता नाथू रेगर नि. ईटुन्दा वगैरह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम चान्दाढण्ड प. ह. ईटुन्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1441/2, 1443/2 कुल किता 02 रकबा 0.8256 हैक्टेयर तथा आ. न. 1421 रकबा 0.2347 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलां को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)